



ऑन लाईन नं. RCMS 2019/00025

न्यायालय : अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.जैन आर०ए०एस०

अपील प्रकरण सं० 16/2019

1. श्रीमती अंशुदेवी पत्नी श्री मुकेश कुमार जाति ब्राह्मण आयु 38 वर्ष , निवासी वार्ड नम्बर पुराना 20, नया 25 रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर राज०।

अपीलार्थिया

बनाम

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी, रायसिंहनगर
2. श्रीमान उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर
3. अंशु शर्मा पत्नी श्री संकेत कौशिक, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नम्बर 23, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोंडेन्ट्स

उपस्थित :


1. श्री अमित स्वामी अधिवक्ता अपीलार्थिया
2. सीडीपीओ रायसिंहनगर

आदेश

दिनांक : 25-06-2019

अपीलार्थिया द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो के सक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया ने आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 20, नया 25 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर में आशा सहयोगिन के पद हेतु आवेदन किया था परन्तु वार्ड नम्बर 23 की महिला अंशु शर्मा जो कि अन्य वार्ड की महिला थी का चयन सहबन से वार्ड नम्बर 20 का मानते हुए शहरी चयन समिति रायसिंहनगर द्वारा कर दिया गया तथा प्रार्थिया के आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया जबकि अप्रार्थिया अंशु शर्मा अन्य वार्ड की महिला का गलत चयन कर दिया गया और प्रार्थिया का चयन निरस्त किया और उपनिदेशक आईसीडीएस, श्रीगंगानगर के पत्रांक 4492 दिनांक 18.12.2018 की विज्ञप्ति अनुसार चयन किया जाना था। उस समय प्रार्थिया वार्ड नम्बर 20 की महिला थी और अप्रार्थिया वार्ड नम्बर 23 की महिला थी। शहरी चयन समिति रायसिंहनगर द्वारा अप्रार्थिया वार्ड नम्बर पुराना 20 नया 25 की नहीं थी फिर भी चयन कर दिया गया जबकि प्रार्थिया इसी वार्ड की मूल निवासी है। प्रार्थिया का राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण-पत्र आधार कार्ड, वोट पहचान पत्र आदि प्रमाण पत्र वार्ड नम्बर 20 व नया 25 का बना हुआ है। चयन परिपत्र के अनुसार उसी वार्ड की महिला न होने पर अन्य वार्ड की महिला के आवेदन पर विचार किया जा सकता है जिसकी अनुपालना नहीं की गई और अप्रार्थिया का चयन में भारी भूल की गई है। प्रार्थिया इसी वार्ड की महिला है इसलिए अन्य वार्ड की महिला को लगाया जाना उचित नहीं है। प्रार्थिया को सुनवाई का अवसर दिये बिना चयन समिति ने द्वेषभाव से, विधि विरुद्ध, नियमों विरुद्ध तथा चयन समिति में पार्षद की अनुपस्थिति में प्रार्थिया के दस्तावेजों को दरकिनार करते हुए प्रार्थिया का चयन नहीं किया गया जबकि अप्रार्थिया इस वार्ड की महिला नहीं थी जिसको इसी वार्ड की महिला सहबन से मानते हुए चयन कर दिया




अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

गया जो गलत है। अतः अपील विरुद्ध शहरी चयन समिति बैठक कार्यवाही को निरस्त कर प्रार्थीया का चयन किया जाना सुनिश्चित कर प्रार्थीया को न्याय प्रदान करने की कृपा करें।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, श्री रायसिंहनगर से रिपोर्ट एवं रिकार्ड मंगवाया गया। रेस्पोंडेन्ट को तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट नम्बर 02 उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीगंगानगर ने अपने जबाब जरिये पत्रांक 922 दिनांक 15.04.2019 प्रस्तुत कर बहस में कहा है कि उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, के द्वारा पत्रांक 4448 दिनांक 14.12.2018 के द्वारा परियोजना रायसिंहनगर के अधीनस्थ आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 20 के आशा सहयोगिन चयन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। आवेदन की अन्तिम तिथि 15 जनवरी 2019 तक रखी गई थी। उक्त अवधि के दौरान परियोजना रायसिंहनगर कार्यालय में पांच आवेदन प्राप्त हुए थे। वरीयता सूची जारी कर चयन समिति उपखण्ड अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में पत्रावली प्रस्तुत कर दी गई। चयन कमेटी के द्वारा वरीयता सूची अनुसार श्रीमती अंशु शर्मा पत्नी संकेत कौशिक को वार्ड नम्बर 20 का स्थाई निवासी मानते हुए चयन कर दिया गया। चयन के उपरान्त पाया गया कि चयन महिला श्रीमती अंशु शर्मा पत्नी संकेत कौशिक वार्ड नम्बर 23 की निवासी है अथवा वार्ड नम्बर 25 पुराना वार्ड 20 की निवासी नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि सुनवाई के समय प्रस्तुत वार्ड नम्बर 25 पुराना वार्ड नम्बर 20 के सम्बन्ध में दस्तावेजों का अवलोकन करने पर निर्णय किया जा सकता है।

अप्रार्थीया अंशु शर्मा पत्नी श्री संकेत कौशिक, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नम्बर 23, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर को विधिवत तामील होने के बावजूद उपस्थित नहीं। फिर भी दौराने बहस रूक-रूक कर बार-बार आवाजे लगाई गई। उपस्थित नहीं।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली, रिपोर्ट एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की। लिखित बहस में अंकित किया कि उपरोक्त अनवान की पत्रावली में शहरी चयन समिति रायसिंहनगर ने प्रार्थीया के आवेदन पत्र का बिना अवलोकन किये अप्रार्थीया संख्या 3 का चयन सहवन से कर दिया था। प्रार्थीया के समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि वार्ड नम्बर पुराना 20, नया 25 के बने हुये है। विभागीय परिपत्र के नियमों के अनुसार उसी वार्ड की महिला का चयन किया जाता है, यदि उस वार्ड की कोई भी महिला आवेदन नहीं करती है तो अन्य वार्ड की महिला के आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकता है। परन्तु विभागीय परिपत्र के नियमों की अवहेलना करते हुये, अप्रार्थीया संख्या 3 का चयन कर दिया गया है, जिसका अवलोकन विभाग के जवाब पत्र से किया जा सकता है। विभाग द्वारा श्रीमान न्यायालय में अप्रार्थीया संख्या 3 के चयन को निरस्त करते हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। चयन समिति बैठक में संबधित वार्ड पार्षद के मौजूद ना होने के कारण अप्रार्थी संख्या 3 का चयन कर दिया गया है, जबकि वार्ड पार्षद ने प्रार्थीया का स्थाई निवास प्रमाण-पत्र लिखित में दिया है, जो सही है फिर भी चयन समिति



अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

द्वारा प्रार्थीया का चयन नहीं किया गया है। प्रार्थीया एक मात्र इस वार्ड की महिला ने आवेदन किया है। प्रार्थीया की अपील स्वीकार करते हुये प्रार्थीया को आशा सहयोगिनी के पद पर नियुक्ति दिलवाई जावे।

बाल विकास विकास परियोजना अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपनी बहस में जबाब के बिन्दुओं अनुसार ही निवेदन किया कि उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, के द्वारा पत्रांक 4448 दिनांक 14.12.2018 के द्वारा परियोजना रायसिंहनगर के अधीनस्थ आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नम्बर 20 के आशा सहयोगिन चयन हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। आवेदन की अन्तिम तिथि 15 जनवरी 2019 तक रखी गई थी। उक्त अवधि के दौरान परियोजना रायसिंहनगर कार्यालय में पांच आवेदन प्राप्त हुए थे। वरीयता सूची जारी कर चयन समिति उपखण्ड अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में पत्रावली प्रस्तुत कर दी गई। चयन कमेटी के द्वारा वरीयता सूची अनुसार श्रीमती अंशु शर्मा पत्नी संकेत कौशिक को वार्ड नम्बर 20 का स्थाई निवासी मानते हुए चयन कर दिया गया। चयन के उपरान्त पाया गया कि चयनित महिला श्रीमती अंशु शर्मा पत्नी संकेत कौशिक वार्ड नम्बर 23 की निवासी है अथवा वार्ड नम्बर 25 पुराना वार्ड 20 की निवासी नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि सुनवाई के समय प्रस्तुत वार्ड नम्बर 25 पुराना वार्ड नम्बर 20 के सम्बन्ध में दस्तावेजों का अवलोकन करने पर निर्णय किया जा सकता है।

हमने अपीलार्थी के अपील मीमों, रेस्पोंडेन्ट द्वारा पेश जबाब एवं बहस में उल्लेखित तथ्यों का गहनता से मनन किया है कि चयन समिति द्वारा दिनांक 20.02.2019 की बैठक में अंशु शर्मा पत्नी संकेत कौशिक का चयन किया गया जबकि उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 922 दिनांक 15.04.2019 अनुसार श्रीमती अंशु शर्मा पत्नी संकेत कौशिक वार्ड नम्बर 23 की निवासी है। अंशु शर्मा पत्नी संकेत कौशिक जिस वार्ड की विज्ञप्ति जारी हुई उस वार्ड की निवासी नहीं होने के कारण उक्त चयन निष्प्रभावी हो जाता है। अतः अपील अपीलार्थी इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि उक्त वार्ड की नवीन विज्ञप्ति इसी सप्ताह जारी होकर चयन प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जावे। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीगंगानगर एवं चयन समिति अध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर को निर्देशित किया जाता है कि वह चयन प्रक्रिया आदेश दिनांक से दो माह तक पूर्ण करे एवं उसमें प्रार्थीया-अपीलार्थी यदि आवेदन करें तो उसके दावे को बिना राजनैतिक पूर्वाग्रह- शिकायत के मैरिट के आधार पर तय करें। आदेश की प्रति उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास परियोजना विभाग, श्री गंगानगर एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी रायसिंहनगर को उनके कार्यालय से प्राप्त रेकार्ड के साथ प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 25.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।



(ओ.पी.जेन)
अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर